बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3/निदे0 (छात्रावास संधारण) 66–24/2018– 22

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार (भा0प्र0से0),
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 12.07.18

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में स्वीकृत छात्रबल के आलोक में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति योजना के तहत खाद्यान्न का उपावंटन।

प्रसंगः खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग का पत्रांक–2875 दिनांक–15.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य स्कीम के अंतर्गत संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति करने की स्वीकृति दी गई है।

2–खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कल्याण संस्थाओं एवं छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को अनुदानित (Subsidised) दर पर खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्त्ति करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रति माह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) उपलब्ध कराया जाना है।

3–इसी क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–2875 दिनांक–15.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा खाद्यान्न का जिलावार आवंटन निर्गत करते हुए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को छात्रावासवार उपावंटन निर्गत करते हुए जिला प्रबंधकों को निदेश देने का अनुरोध किया गया है।

4– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–2875 दिनांक–15.06.2018 के आलोक में संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) उपावंटित किया जाता है। आपूर्त्ति किए जाने वाले खाद्यान्न का भंडार पंजी में इन्द्रांज किया जाएगा।

5– संबंधित छात्रावास अधीक्षक के पहचान पर योग्य लाभुकों के बीच खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) वितरित किया जाएगा।

6– जिला कल्याण पदाधिकारी संबंधित छात्रावास अधीक्षक से वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा की सूचना प्राप्त कर त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

12.7.2018

(मिथिलेश कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक–3/निदे0 (छात्रावास संधारण) 66–24/2018– 22 पटना, दिनांक– 12.07.18

प्रतिलिपिः– (1) महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/संबधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(iii) आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवासाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.7.2018

निदेशक।